

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :- जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में जिला योजना के अन्तर्गत चोपडा उडामाण्डा (पीएमजीएसवाई) मोटर मार्ग से बनवालधार (जरम्वाड) होते हुए बैंजी काण्डई (अनु० बस्ती) तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 2.05 किमी०

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम :-

तहसील रुद्रप्रयाग, जिला रुद्रप्रयाग

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद-रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में जिला योजना के अन्तर्गत चोपडा उडामाण्डा (पीएमजीएसवाई) मोटर मार्ग से बनवालधार (जरम्वाड) होते हुए बैंजी काण्डई (अनु० बस्ती) तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 2.05 किमी० परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.35 हे० सिविल वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 0.35 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत बैंजी काण्डई द्वारा दिनांक 18-7-21 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम बैंजी काण्डई के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

[Handwritten Signature]
 ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
 ग्राम सचिव
 कि० ख०-अगस्त्यमुनि
 जनपद-रुद्रप्रयाग



नोट :- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
 उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र-23.1

परियोजना का नाम :- जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में जिला योजना के अन्तर्गत चोपडा उडामाण्डा (पीएमजीएसवाई) मोटर मार्ग से बनवालधार (जरम्वाड) होते हुए बैंजी काण्डई (अनु0 बस्ती) तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 2.05 किमी0

दिनांक 18/7/02 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत ~~बैंजी काण्डई~~

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	श्री रामसाह काण्डपाल	
2-	वीरवीर काण्डपाल	
3-	कमलकान्त "	
4-	झारूप "	
5-	निधर मिश्रा "	
6-	शार्ङ्ग काण्डपाल	
7-	वेद प्रकाश "	
8-	वीरार्जुन प्रसाद	
9-	ग्राधुरी	
10-	बामन प्रसाद	
11-	नवल	
12-	खेम सिंह	
13-	विष्णु मिश्रा	
14-	खानीता देवी	
15-	नमिता	
16-	सुनीता	
17-	चक्रमोहन लाल	
18-	प्रदीप काण्डपाल	
19-	दिवेक काण्डपाल	
20-	दिलीप सिंह	
21-	चक्र सिंह	
22-	विजयलाल	

संलग्न है।

K. K. K.
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
क्षेत्र अ. अ. अ.
कि0 ख0-अगस्त्यमुनि
जनपद-रुद्रप्रयाग

76

विजय
लाल
Hema
18/7/02
ह0/-
ग्राम प्रधान

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :- जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में जिला योजना के अन्तर्गत चोपडा उडामाण्डा (पीएमजीएसवाई) मोटर मार्ग से बनवालधार (जरम्वाड) होते हुए बैंजी काण्डई (अनु0 बस्ती) तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 2.05 किमी0

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम :-

तहसील रुद्रप्रयाग, जिला रुद्रप्रयाग


अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद-रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में जिला योजना के अन्तर्गत चोपडा उडामाण्डा (पीएमजीएसवाई) मोटर मार्ग से बनवालधार (जरम्वाड) होते हुए बैंजी काण्डई (अनु0 बस्ती) तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 2.05 किमी0) परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.35 हे0 सिविल वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 0.35 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत जरम्वाड द्वारा दिनांक 20-7-21 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम जरम्वाड के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।


ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
क्षेत्र जरम्वाड
ग्राम सचिव अगस्त्यमुनि
जनपद-रुद्रप्रयाग



नोट :-यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र-23.1

परियोजना का नाम :- जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में जिला योजना के अन्तर्गत चोपडा उडामाण्डा (पीएमजीएसवाई) मोटर मार्ग से बनवालधार (जरम्बाड) होते हुए बैजी काण्डई (अनु0 बस्ती) तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 2.05 किमी0

दिनांक 20/07/20 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत जरम्बाड

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	राजपालसिंह राणा	
2	प्रवेन्द्रसिंह	
3	बलवन्तसिंह मून्डगी	
4	कमल सिंह जोगी	
5	अमर सिंह राणा	
6	हिम्मत सिंह रावत	
7	विजयपाल सिंह रावत	
8	मंगल सिंह राणा	
9	जयपाल सिंह	
10	खशबन्त सिंह	
11	इश्वर सिंह	
12	मदन सिंह	

ग्राम विकास अधिकारी
 क्षेत्र जरम्बाड
 पो 130-अगस्त्यमुनि
 जनपद-रुद्रप्रयाग

संलग्न है।

ग्राम पंचायत जरम्बाड
 ह0/20/07/2020
 ग्राम प्रधान

प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम :- जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में जिला योजना के अन्तर्गत चोपडा उडामाण्डा (पीएमजीएसवाई) मोटर मार्ग से बनवालधार (जरम्वाड) होते हुए बैंजी काण्डई (अनु० बस्ती) तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 2.05 किमी०

कार्यालय उप जिलाधिकारी, :- रुद्रप्रयाग जनपद रुद्रप्रयाग अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, रुद्रप्रयाग ।

उपखण्ड रुद्रप्रयाग परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में जिला योजना के अन्तर्गत चोपडा उडामाण्डा (पीएमजीएसवाई) मोटर मार्ग से बनवालधार (जरम्वाड) होते हुए बैंजी काण्डई (अनु० बस्ती) तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 2.05 किमी० (0.00 हे० आरक्षित वन भूमि, ०.३५ हे० ~~वन~~ वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल ०.३५ हे० वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील रुद्रप्रयाग) की दिनांक 6/4/2022 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्रीमती अर्पणा लोडियार उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- | | | |
|---------------------------|---------------------------|------------|
| 1- श्रीमती अर्पणा लोडियार | उपजिलाधिकारी | अध्यक्ष |
| 2- श्री प्रदीप पाल | उप प्रभागीय वनाधिकारी | सदस्य |
| 3- श्री सतीश पाल | सहायक समाज कल्याण अधिकारी | सदस्य/सचिव |
| 4- श्री सतार सिंह बेगी | बी०डी०सी० क्षेत्र | सदस्य |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में जिला योजना के अन्तर्गत चोपडा उडामाण्डा (पीएमजीएसवाई) मोटर मार्ग से बनवालधार (जरम्वाड) होते हुए बैंजी काण्डई (अनु० बस्ती) तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 2.05 किमी० परियोजना हेतु, ०.३५ हे० वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुषंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, रुद्रप्रयाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड अगस्त्यमुनि परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में जिला योजना के अन्तर्गत चोपडा उडामाण्डा (पीएमजीएसवाई) मोटर मार्ग से बनवालधार (जरम्वाड) होते हुए बैंजी काण्डई (अनु० बस्ती) तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 2.05 किमी० परियोजना के निर्माण हेतु ०.३५ हे० वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-रुद्रप्रयाग, जनपद रुद्रप्रयाग।

सहायक समाज कल्याण अधिकारी
अगस्त्यमुनि

सरतार सिंह बेगी
क्षेत्र पंचायत बैंज काण्डई

कुलदीप सिंह
39 क्षेत्र पंचायत बिजराकोट
विकास खण्ड-अगस्त्यमुनि

“समझौता ज्ञापन”

यह समझौता ज्ञापन एक पक्षकार के रूप में अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग रुद्रप्रयाग (कार्यदायी संस्था)

तथा

दूसरे पक्षकार के रूप में समस्त नापभूमिधर जिनकी भूमि जरग्वाड से बैजी काण्डई मोटर मार्ग के निर्माण हेतु उपयोग में लायी जानी है।

के बीच

आज दिनांक 25-7-21 को निष्पादित किया गया है।

1. यह सहमति हो गई है कि कार्यदायी संस्था मार्ग निर्माण का समस्त कार्य निष्पादित करेगी।
2. यह सहमति हो गई है कि अपनी वह भूमिधर जिनकी भूमि मार्ग निर्माण /मक डिस्पोजल हेतु लायी जानी है, उनको वर्तमान स्वीकृत सर्किल दरों पर प्रतिकर के रूप में भुगतान किया जायेगा तथा भूमि का हस्तान्तरण लोक निर्माण विभाग के नाम किया जायेगा।
3. यदि कोई विवाद होता है तो उसका निवारण तहसील स्तर से किया जायेगा, जिसका निर्णय दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

इसके अतिरिक्त स्वरूप पक्षकारों ने अपने प्राधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से इस अविलेख पर ऊपर सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख, माह और वर्ष के हस्ताक्षर किये और अपनी मोहर लगाई है।

कार्यदायी संस्था की ओर से हस्ताक्षर

अधिशासी अभियन्ता

प्रा०ख० लो०नि०वि०

रुद्रप्रयाग

नाम भूमिधर

नाम—

1. जगदीश प्रसाद कान्हा

हस्ताक्षर

2. व. बी. काण्डेय

3.

4. कमलकांत

5. कालिका

6. जय बंधन

7. वीरधर

8. माधुजी

9.

10. लालीत मोहन

11. चरण सिंह

12. राम मोहन लाल

13.

14.

15.

16.

ह० पटवारी / मोहर

25-07-2021

जगदीश प्रसाद

रुद्रप्रयाग

(जिला) - रुद्रप्रयाग

(for linear projects)

**Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Rudraprayag**

No-8

Dated-----16.06.2022

TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In complinace of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.35 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **Provincial Division P.W.D. Rudraprayag** (name of user agency) for **Construction of Banwaldhar (Jarmwar) to Bainji Kandai Motor Road under District sector in District Rudraprayag** (purpose for diversion of forest land) in **Rudraprayag** district falls within jurisdiction of **Bainji Kandai** village (s) in **Rudraprayag** tehsils.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire... hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure....
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.


Mayur Dixit (I.A.S.)

(Full name and official seal of the District Collector)

23.4


**OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR
DISTRICT Rudraprayag (U.K.)**

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of **Rudraprayag** district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of **Mr. Mayur Dixit, I.A.S** District Magistrate **Rudraprayag** on date 16/6/2022 at time 11 A.M. at **Rudraprayag** in which application claiming rights in **Forest** area measuring 0.35 hect for the **Construction of Banwaldhar (Jarmwar) to Bainji Kandai Motor Road under District sector in District Rudraprayag (2.05 Km)** of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **S.D.M.** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose:

Place : Rudraprayag
Dated: 16/6/2022


**Mayur Dixit (I.A.S.)
District Magistrate-cum-
Chairman, District Level
Committe, Rudraprayag**